न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2023-373RAAJodhpur2023-138RTA223 Ramdeo Vs Sangramram etc

रामदेव पुत्र दयालराम जाति जाट, निवासी गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

संग्राम राम पुत्र चैनाराम के कायम मुकामान

01. परमुडी पत्नी संग्राम राम जाति जाट
02. सुभाष पुत्र संग्राम राम जाति जाट
03. नेमाराम पुत्र संग्राम राम जाति जाट
04. सुनिल पुत्र संग्राम राम जाति जाट
05. रामनिवास पुत्र संग्राम राम जाति जाट
06. दिनेश पुत्र संग्राम राम जाति जाट
07. गौतम पुत्र संग्राम राम जाति जाट

सभी निवासीगण ग्राम गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व वाद सख्या 16/2017 दयालराम बनाम संग्रामराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री जगदीष प्रजापत, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जस्साराम चवेल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 8

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 06 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद सख्या 16/2017 दयालराम बनाम संग्रामराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 23 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के पिता दयालराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादी रेस्पो. सख्या एक के खिलाफ पेष कर कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम गजसिंहपुरा के खसरा संख्या 135/3 मिन रकबा 5 बिस्वा, गैर मुमकिन बाड़ा एवं खसरा संख्या 135/4 मिन रकबा 5 बिस्वा गैर मुमकिन बाड़ा वादी की खातेदारी में दर्ज है और कदीम से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर विधिवत रूप से उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त आराजी वादी के पक्ष में क्रमषः सनद संख्या 1979 दिनांक 13 नवम्बर 1972 तथा सनद संख्या 80/2247 दिनांक 02 नवंबर 1979 के जरिये नियमन की जाकर म्यूटेषन संख्या 958 एवं 698 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रविष्टिया की गयी, किन्तु राजस्व नक्शे में इस बाबत तरमीम नहीं हुई। राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं होने का अनुचित लाभ उठा कर प्रतिवादीगण रेस्पो. उसे उक्त आराजियात से जबरन बेदखल करने पर आमदा है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष पदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण/रेस्पों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी रेस्पो. संग्रामराम के कायम मुकामान की ओर से उक्त वाद का जबाव मय काउण्टर क्लेम पेश कर विरोध किया गया। वादी अपीलाण्ट की ओर से जवाबुल–जवाब पेष कर क्लेम खारिज किये जाने तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनाक 19 अगस्त 2019 के जरिये वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज कर वादी को तरमीम हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के समक्ष अपील आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 27 जुलाई 2021 के जरिये अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट्स को जरिये शाष्वत निषेधाज्ञा अपीलांट की खातेदारी की दोनो तरमीमयुक्त

खसरों में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया। अदालत हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट्स द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष अपील संख्या 4718/2021 प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा उक्त अपील स्वीकार की जाकर अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 27 जुलाई 2021 को अपास्त कर प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक एवं लिखित साक्ष्य का तनकीवार पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन करते हुए पुनः विधिनुसार तनकीवार निर्णय पारित किये जाने के निर्देष दिये गये। माननीय मण्डल के निर्देषों की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्ष को सूचित कर विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। विचारण न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 135/3 एवं 135/4 के पड़ौस में खसरा संख्या 135/1 रकबा 5 बिस्वा कानाराम, खसरा संख्या 135/2 रकबा 5 बिस्वा गोपालराम तथा खंसरा संख्या 135 रकबा 03 बिस्वा ग्राम पंचायत के खातेदारी की स्थित है। वादी–अपीलाण्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजियात क्रमषः सनद संख्या 1979 दिनाक 03 नवम्बर 1972 तथा सनद संख्या 80/2247 दिनांक 2 नवम्बर 1979 के जरिये नियमन की जाकर म्युटेषन संख्या 558 एवं 698 स्वीकृत करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रविष्टिया की गयी, किन्तु राजस्व नवशे से इस बाबत कोई तरमीम नहीं की। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी द्वारा इसका अनुचित लाभ उठाते हुए अपीलाण्ट के कब्जे की भूमि में अनावश्यक जबरन दखलंदाजी की जा रही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट/ वादी के वाद को खारिज किये जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादी/अपीलांट की अपील को निर्णय दिनांक 27 जुलाई 2021 के जरिये स्वीकार कर प्रतिवादी/रेस्पो. के विरूद्ध शाष्वत निषेधाज्ञा जारी की गई। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो. की ओर से माननीय मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय मण्डल द्वारा मामले का प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किये जाने के निर्देष दिये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को बाड़े के रूप में आवंटित हुई है तथा उक्त आवंटन

आदेष की पालना में अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। रेस्पोडेंट्स द्वारा काउंटर क्लेम के जरिये वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है जो कानूनन देय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के अनुरुप, विधिसम्मत न्यायोचित एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है और न ही न्यायिक निर्णय की श्रेणी में आते हैं जो अपास्त योग्य है।

विलंब के संबंध में अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय वादी/अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी/अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के उपरान्त भी प्रकरण में उनकी उपस्थिति दर्ज करते हुए निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 28 जनवरी 2020 से पूर्व अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 28 जनवरी 2020 को गांव में वादी का दावा खारिज हो जाने की अफवाह सुनी तो 29 जनवरी 2020 को अपीलाण्ट द्वारा भोपालगढ जाकर प्रमाणित प्रतिलिपियों हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जो दिनांक 30 जनवरी 2020 को प्राप्त होने पर अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री बाबत समुचित जानकारी हुई और तदनुसार जानकारी की दिनांक से आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष पेश कर दी गयी है।

अंत में अपीलांट ने अधिवक्ता ने अपील अपीलाण्ट मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 135 रकबा 1.3 बीघा पर प्रारम्भ से ही प्रतिवादी–रेस्पो. के कब्जे में चली आ रही है और उक्त भूमि का उपयोग उनके द्वारा पशुओं का चारा एवं ईंधन सामग्री रखने के लिए करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पों की ओर से साक्ष्य में जिन गवाहान को पेश किया गया, उनके द्वारा प्रतिवादी पक्ष के अभिवचनों के अनुरुप ही बयान दिये है एवं वादगस्त आराजी पर वादी/अपीलाण्ट का कब्जा होने से इंकार किया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 के जरिये प्रतिवादी रेस्पो. का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया, जो न्यायोचित एव विधिसम्मत नहीं है। वादी/अपीलाण्ट का वाद जरिये साक्ष्य

सिद्व नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय वादी/अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलांट मियाद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे एवं माननीय मण्डल के निर्देषों की पालना में प्रतिवादी का कांउटर क्लेम तनकीवार विवेचन करते हुए स्वीकार फरमाया जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है, अदालत हाजा द्वारा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु पूर्व में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की गई थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मण्डल के निर्देषों की पालना में मामले के उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

माननीय मण्डल द्वारा अपील संख्या 4718/2021 अनवान परमुड़ी बनाम रामदेव में पारित निर्णय दिनांक 06 जून 2023 के जरिये अदालत हाजा को मामले में उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों का तनकीवार पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन करते हुए विधिनुसार तनकीवार निर्णय पारित किये जाने के निर्देष दिये गये है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद, जवाब मय काउंटर क्लेम एवं जवाबुल जवाब के आधार पर कुल 05 तनकीयात कायम की गई है। माननीय मण्डल के निर्देषों के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार मामले का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

01. **आया वादी की कब्जा सुद भूमि ग्राम गजसिंहपुरा की सीमा में खसरा नंबर 135/3 मि. रकबा 05 बिस्वा व खसरा नंबर 135/4 रकबा 05 बिस्वा भूमि आयी हुई है जो वादी के खातेदारी की है?**

जिम्मे वादी...

तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार विचारण न्यायालय द्वारा वादी के जिम्मे रखा गया है। वादी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

प्रदर्ष–1 जमाबंदी संवत:2059–2062 व 2065 ग्राम गजसिंहपुरा के के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 135/3 मिन रकबा 05 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन बाड़ा एवं खसरा नंबर 135/4 मिन रकबा 05 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बाड़ा वादी/अपीलांट के पिता दयालराम पुत्र कालूराम की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्ष–ई.एक्स.–4 एवं प्रदर्ष–ई.एक्स.–5 नामांतरकरण संख्या 558 एवं 698 जो वादग्रस्त आराजी की सनद/नियमन आदेष तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा वादी/अपीलांट के पिता के पक्ष में जारी किये जाने पर तहसीलदार द्वारा जारी सनद एवं नियमन आदेष की पालना में उक्त नामांतरकरण स्वीकृत किये जाकर वादी/अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रामनिवास पुत्र चैनाराम द्वारा अपनी जिरह की वादी के पक्ष में जारी किसी भी दस्तावेज का खण्डन नही किया है तथा स्वयं के अनपढ होने के आधार पर किसी तथ्य की जानकारी नहीं होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्यों से बखूबी साबित है कि वादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट के पिता की खातेदारी की भूमि है। लिहाजा तनकी संख्या एक का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

02. **आया विवादग्रस्त खसरे में वादी की गढ़ाल व दो पक्की साले बनी हुई है। चार दीवार का निर्माण किया हुआ है, लंबे समय से शांतिपूर्व कब्जा वादी का चला आ रहा है? जिम्मे वादी...**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्ष–ई.एक्स.–3 वादग्रस्त आराजीयात की गिरदावरी संवत: 2060 में वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा दर्षाया हुआ है, जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काष्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट्स की ओर से वादग्रस्त आराजीयात पर वर्तमान कब्जे काष्त के संबंध मे किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर वादीग/अपीलांट्स का कब्जा काष्त साबित होने से उक्त तनकी का निर्णय वादी/अपीलांट के पक्ष में किया जाता है।

03. **आया मौजा गजसिंहपुरा की सीमा में खसरा नंबर 135 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा गैर मुमकिन अंगोर की भूमि आयी हुई है, जिस पर प्रतिवादीगण के**

पूर्वज चेनाराम के समय से कब्जा चला आ रहा है? जिम्मे प्रतिवादी......

तनकी संख्या 3 को साबित करने का प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य खसरा परिवर्तनषील के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का निरंतर कब्जे काष्त का अभाव पाया जाता है तथा वर्तमान कब्जा काष्त बाबत किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत वादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट्स के पिता की खातेदारी में दर्ज है। कानूनन भूमि पर रेकर्डेड खातेदार का कब्जा काष्त होना धारित किया गया है तथा खातेदार को ही मौके पर काबिज होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी सिद्ध नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

04. **आया प्रतिवादीगण को तहसीलदार भोपालगढ ने दिनांक 05.12.1970 को नोटिस जारी किया, उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने पक्का निर्माण कर निवास के रूप में काम में ले रहे है?**

जिम्मे प्रतिवादी....

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्ष–ई.एक्स.डी 2 के मुताबिक तत्समय वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के पिता चैनाराम का वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा होने पर उन्हें नोटिस जारी किया जाना प्रकट होता है, किंतु प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान कब्जे काष्त को साबित नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी को वादग्रस्त आराजी की सनद/नियमन होने के पश्चात रेस्पोडेंट्स की ओर से आज दिनांक तक उक्त सनद/नियमन आदेष के विरूद्ध किसी सक्षम स्तर पर कार्यवाही किये जाने का अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी अपने पक्ष में साबित नहीं किये जाने से उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

05. **आया वादी अपने अधिकारों की सुरक्षा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? जिम्मे वादी....**

तनकी संख्या 05 को साबित करने का भार विचारण न्यायालय द्वारा वादी के जिम्मे रखा गया है। तनकी संख्या एक व दो वादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी रामदेव पुत्र दयालराम के नाम खातेदारी में दर्ज होकर पृथक–पृथक तरमीमसुदा है, जिसकी पुष्टि अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड से होती है। अपीलांट का दावा राजस्व रिकॉर्ड से पूर्णरुपेण साबित है। प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी एवं कब्जासुद भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी ठहरता है। लिहाजा उक्त तनकी वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से साबित है कि वादी/अपीलांट के पिता वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काष्त है। रेस्पोडेंट्स को वादी/अपीलांट की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। वस्तुतः उपरोक्त तनकीवार विवेचन के उपरांत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद सख्या 16/2017 दयालराम बनाम संग्रामराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19 अगस्त 2019 को अपास्त किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है तथा वादी के वाद को माफिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये शाष्वत निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे अपीलांट की उक्त खातेदारी के दोनों तरमीमयुक्त खसरों में किसी भी प्रकार की दखलदाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर